# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.

**प्रकरण सं. 14 / 2018**

1. उगमा पुत्र लादू जाति रेगर निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामदेव पुत्र श्री उगमा जाति बैरवा निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री हीरा पुत्र श्री उगमा जाति बैरवा निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. श्री लादू पुत्र श्री जीवण जाति बैरवा निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

## निर्णय अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वादियागण ने इस वाद में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम सिंगावल पटवार हल्का सिंगावल, भू. अभिलेख निरीक्षक सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर की वर्तमान जामाबंदी में दर्ज आराजीयात खसरा नं. 412 / 3848 रकबा 0.45 हैं0 भूमि प्रार्थी की आवंटनशुदा आराजीयात हैं। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त एवं स्वामित्व अनवरत निर्बाध रूप से चला आ रहा हैं। उक्त आराजीयात के अलावा अप्रार्थीगण को भी समान शिविर में आराजीयात आवंटन की गई जिसके हाल खसरा नं. 412 / 3850 रकबा 0.49, 412 / 3849 रकबा 0.49 विधिवत आवंटित की जाकर पट्टे जारी किए गए थे। तत्समय प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने अपना कब्जा संभाल लिया था एवं वर्तमान में भी उसी अनुरूप काबिज काश्त चले आ रहें हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के हाल खसरा नं. 412 / 3848 रकबा 0.45 के वर्किंग खसरा नं. 237 / 2569 मीन खसरा नं. 412 / 3850 रकबा 0.22 हैं0 के वर्किंग मिलान खसरा नं. 237 / 2571 मीन हैं, हाल खसरा नं. 412 / 3849 रकबा 0.49 के वर्किंग खसरा नं. 237 / 2570 मीन हैं जिसमें प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात के नक्शा ट्रेस में रकबा के अनुसार सही हैं व प्रार्थी एवं अप्रार्थी भी इसी प्रकार से रकबे के अनुसार मुख्य रास्ते से लगवा रास्ते उत्तर से दक्षिण दिशा के हिस्से पर सभी अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं परन्तु राजस्व विभाग द्वारा वर्तमान नवीन नक्शा ट्रेस बनाया गया हैं उसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी जिस प्रकार मौके पर काबिज हैं उसके अनुसार नहीं बनाकर मुख्य रास्ते पर एक पक्षकार खसरा नं. 412 / 3850 को तरमीम दर्शाते हुए अन्य पक्षकार को उसके उपर काबिज कर पूर्व से पश्चिम दिशा में नक्शें में गलत तरमीम कर दिया हैं जो कि सरासर गलत है। प्रार्थी व. अप्रार्थीगण मुख्य रास्ते में सभी पक्षकारान का लगवा एक समान अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त हैं

Scanned by CamScanner

एवं इसी प्रकार तरमीम किया जाना था लेकिन रास्ते में एक पक्षकार का हिस्सा दर्ज कर दिया जिसे दुरुस्त किया जाना अतिआवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्तीकरण किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लो अदालतःन्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत सिंगावल में पेश हुई।प्रार्थी स्वयं एवं प्रार्थी अधि उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित हुए। बेंच सदस्यों के समक्ष उभयपक्षकारान ने उपस्थित ह लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर वाग्रस्त आराजीयात में राजस्व मानचित्र दुरूस्ती हेतु सहमति प्रकट की। बैंच सदस्यों द्वारा उपस्थित उभयपक्षकारान को सुना गया। पैरोकार सरक जवाब पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती योग्य बताया साथ ही कथन किए कि वर्तम पक्षकारान जिस अनुसार काबिज काश्त है उसी अनुरूप ही भूमि आवंटन की गई थी। बैंच सदस्यों द्वारा पक्षक के कब्जे काश्त के सबंध में शिविर में उपस्थित जनसमुदाय से रायशुमारी की गई। बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थी प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि ग्राम सिंगावल प हल्का सिंगावल, भू. अभिलेख निरीक्षक सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर की वर्तमान जामाबंदी संवत् र नं. 412/3848 रकबा 0.45, 412/3849 रकबा 0.49, 412/3850 रकबा 0.49 में आवंटन आदेश अनुरूप रा नक्शें में तरमीम सुधार की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.05.2018 राजस्व लोक अदालत शिविर मे सुनाया गया।**

| | | |
|---|---|---|
| सदस्य<br>लोक अदालत<br>उपखण्ड-भिनाय | सदस्य<br>लोक अदालत<br>उपखण्ड-भिनाय | अध्यक्ष<br>लोक अदालत<br>उपखण्ड-भिनाय |

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.03.18 13:03:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: